न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 79 सन 2019

अनवान :–

1. जीत पुत्र सुन्दर जाति बाजीगर साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जोगेन्द्रसिह पुत्र सुन्दर जाति बाजीगर साकिन थिराना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. अनोपसिह पुत्र पनेसिह जाति राजपुत साकिन थिराना नोहर जिला हनुमानगढ।
   1/1. किशनसिह पुत्र अनोपसिह जाति राजपुत साकिन थिराना तहसील नोहर
2. छोगसिह पुत्र हीरसिह उर्फ हरिसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
   2/1. मालसिह पुत्र छोगसिह जाति राजपुत साकिन थिराना तहसील नोहर।
   2/2. शंकरसिह पुत्र छोगसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
   2/3. राजेन्द्रसिह पुत्र छोगसिह जाति राजपुत साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. सरोज पत्नी छोटूलाल जाति महाजन साकिन थिराना तहसील नोहर।
   3/1. मनोज पुत्र सरोज पत्नी छोटूलाल जाति महाजन साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   3/2. राजेश पुत्र सरोज पत्नी छोटूलाल जाति महाजन साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   3/3. राकेश पुत्र सरोज पत्नी छोटूलाल जाति महाजन साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. आई.सी.आई.सी. आई बैक शाखा रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक खूईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

7. सुच्चासिह पुत्र जंगा जाति बाजीगर साकिन सुरेवाला तहसील टीबी जिला हनुमानगढ
8. अमर पुत्र सुन्दर जाति बाजीगर साकिन सुरेवाला तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।
   8/1. छिन्द्रपालकोर पुत्री अमरसिह जाति बाजीगर साकिन डबबाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
   8/2. राजसिह पुत्र अमरसिह (फोत)
   8/2/1. बलजीतकोर पत्नी राजसिह जाति बाजीगर साकिन डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
   8/2/2. जगतारसिह पुत्र राजसिह जाति बाजीगर साकिन डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
   8/2/3. मेजरसिह पुत्र राजसिह जाति बाजीगर साकिन डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
   8/3. जगराजसिह पुत्र अमरसिह (फोत)
   8/3/1. गरुमीतकौर पत्नी जगराजसिह जाति बाजीगर साकिन डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
   8/3/2. कमलदीन पुत्र जगराजसिह नाबालिग जरिये वली माता गुरमीतकौर पत्नी जगराजसिह जाति बाजीगर साकिन डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
   8/3/3 नमनदीप पुत्र जगराजसिह नाबालिग जरिये बली माता गरुमीतकौर पत्नी जगराजसिह जाति बाजीगर साकिन डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

तरतीबी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

... स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री ... नियाअधिवक्ता वादी ...
श्री महेश ... शर्मा अधिवक्ता प्रति... संख्या 1 ता 4
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता 3/1 से 3/3
पेरोकार राज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निर्णय दिनांक :- 26/07/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने दिनांक 23.08.1996 को विरूद्व अनोपसिह व प्रतिवादी संख्या 2 व अन्य के विरूद्व वादग्रस्त भूमि रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा भूमि बाबत वाद अन्तर्गत धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया न्यायालय द्वारा वाद वादी विधिवत सुनवाई उपरान्त दिनांक 09.09.2002 को वाद वादी आंशिक रूप से अन्तिम डिक्री किया गया था जिसके विरूद्व वादी एव प्रतिवादीगण दोनो ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनमानगढ के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो अपील संख्या 125/2002 जीत बनाम छोगासिह व अन्य अपील संख्या 123/2002 अनोपसिह बनाम जीत आदि प्रस्तुत की गई न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 30.06.2008 द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.09.2002 को अपास्त कर इस विवेचन के साथ रिमाण्ड किया गया की वाद में यह कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है कि साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा में पैमुद हुई है खसरा मिलान के अभाव में उक्त तथ्यों को साबिन नही माना जा सकता है दोनो पक्षों को उपरोक्त विवेचन के अनुसार साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मन निर्णय पारित किया जावे।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय उपरान्त पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर उभयपक्षों को तलब किया गया वाद में समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्र पेश हुऐ तथा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 14 सीपीसी पेश हुआ जिसे न्यायालय ने कोस्ट पर स्वीकार किया जिसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश हुई जो दिनांक 17.09.2018 को इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.02.2010 को यथावत रखाा गया

पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से पुनः प्राप्त होने पर पेशी में ली जाकर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया दोनो पक्षों की और से अधिवक्ता उपस्थित आये समय समय पर उभयपक्षों के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने एव स्वीकार होने के कारण वादी के द्वारा संशोधित वाद पत्र पेश किया गया ।

रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 की 2.00 बीधा भूमि पन्ना पुत्र लेखु जाति नायक साकिन थिराना की खातेदारी भूमि थी बन्ना ने दिनांक 14.04.1966 को रामस्वरूप पुत्र गिरधारी को बेय कर दी तथा रामस्वरूप ने दिनांक 09.10.1971 को जरिये बेयनामा वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 8 व हाकम जगां पुत्र सुन्दर को बैय कर दी जगा व सुन्दर फोत हो गया है जिसका जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 7 एव हाकम पुत्र सुन्दर लावल्द फोत हो गया है जिसके जायज वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,8 ही है

वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 7, 8 खरीद के समय से काश्त करते आ रहे है तथा रकम राज अदा करते आ रहे है पैमाईश हाल में साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा के नये खसरा न0 600 की 25.15 बीधा में परिर्वतन कर पैमुद किया गया है पैमाईश में वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 8 व हाकम , जगां पुत्र सुन्दर के नाम दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 व हाकम जंगा पुत्र सुन्दर के नाम दर्ज करने की बजाय लेखू वल्द जालू जाट के नाम दर्ज कर दी जबकि लेखू जाट ना को कोई ब्यक्ति इस गांव में कोई नही है विभाग ने लेखू की जाति नायक की बजाय जाट गलत तौर से दर्ज कर दी।

प्रतिवादी संख्या 2 ने एक वाद एस.डी.ओ. नोहर के यहॉ गलत तथ्य पेश कर बन्ना को फरीक बनाकर पेश किया जबकि छोग[illegible]ज्ञान था व दावा में दर्ज भी किया है कि बन्ना ने भूमि बैय वादीगण ए[illegible] जंगा पुत्र सुन्दर को करदी फिर भी वादीगण एव प्रतिवादी स[illegible] पुत्र सुन्दर को फरीक बनाने की बजाय बन्ना को फरीके बनाकर दावा पेष किया व बन[illegible]ने वगैर तलब किये ही दावा दिनांक 20.09. 1990 को डिक्री हो गया वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 8 व हाकम जंगा पुत्रगण सुन्दर को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वगैर फरीक बनाये बिना सुने ही खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि का निर्णय अपने पक्ष में करवाया है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 व हाकम , जंगा पुत्रगण सुन्दर उक्त निर्णय से पाबन्द नही है तथा वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 8 व हाकम , जंगा पुत्रगण सुन्दर की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने नाम दर्ज नही करा सकता है निर्णय दिनांक 20.09.1990 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 , हाकम , जंगा पुत्र सुन्दर के हकुक के खिलाफ शुन्य एव प्रभावहीन है।

दावा संख्या 206/1988 में प्रतिवादी संख्या 1 अनोपसिह भी प्रतिवादी संख्या 2 था ने इकबाल पेश किया गया था तथा सारे तथ्यो का ज्ञान था प्रतिवादी संख्या 1 ने ही सारी साजिसाना कार्यवाही कर लेखू वल्द जालू नायक को नायक की बजाय जाट दर्ज करवाया था ईन्तकाल संख्या 595 दिनांक 01.10.1991 में लेखू की जाति नायक दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने फर्जी तथाकथित वसीयत तैयार करना जाहिर किया है लेकिन उक्त वसीयत का कही भी पता नही चल रहा है पंचायत के सचिव ने साजकर लेखू जाट को फोत होना जाहिर कर एक वारीस प्रमाण पत्र प्राप्त किया व अपने पक्ष में वसीयत होना जाहिर कर साजिसाना तरीके से इन्काल संख्या 634 दिनांक 25.05.1992 को करा लिया उक्त इन्काल नाजायज व कानून के खिलाफ है इसलिये वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 हाकम, जंगा पुत्र सुन्दर के हकूक के खिलाफ शुन्य एव प्रभावहीन है।

वादग्रस्त भूमि पैमाईश का कार्य चालू होने की वजह से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 8 एव हाकम, जंगा पुत्र सुन्दर के नाम दर्ज नही हो सकी लेकन वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 8 व हाकम, जंगा पुत्र सुन्दर अपनी खरीद शुद्दा भूमि को काश्त करते आ रहे है प्रतिवादी संख्या 2 ने विवादित भूमि में गलत दर्ज अंकन के आधार पर एवं विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त में ना होने के बावजूद भी साजिसाना कार्यवाही कर मुश्तरका खाते की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में खसरा न0 600 की 25.15 बीधा में से 5.06 बीधा भूमि का विधि विरूद्व विनिमय पत्र दिनांक 08.06.2016 को करवा दिया गया हे जो रजिस्ट्रर्ड भी नही है उसके बावजूद भी राजस्व विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया है उक्त विनिमय पत्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 , 8 के हकूक के मुकाबले शुन्य प्रभावहीन है।

वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 8 हाकम, जगा पुत्रगण सुन्दर की जरिये बेयनामा दिनांक 09.10.1971 को खरीद शुद्दा भूमि है जो खरीद के समय से लेकर आज तक लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 के खातेदारी हकुक का हनन होता है इसलिये वादीगण अपने हकूक की घोषणा करवाकर विवादित भूमि रोही मौजा थिराना के खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 7 ,8 के नाम बहिब दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 विवादित भूमि में दर्ज गलत अंकन के आधार पर विवादित भूमि को रहन बेय कर सकते है एव विवादित भूमि में जबरिया कब्जा कर काबिज होने की सरेआम धमकी देते है यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये वादीगण , प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 2 ने दौराने दावा विवादित भूमि में गलत अंकन के आधार पर एव विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा एव कब्जा ना होने के बावजूद साजिसाना कार्यवाही कर मुश्तरका खातें की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में खसरा न0 600 की 25.15 बीधा में से 5.06 बीधा का विधि विरूद्ध [illegible] 08.06.2016 को करवा दिया जो रजिस्टर्ड भी नही है उसके बावजूद भी राजस्व [illegible] राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा दिया उक्त विधि विरूद्ध विनिमय [illegible] को दावा में पक्षकार बनाया जाकर अदालत ने संशोधित वाद पेश करने का आदेश दिया उसके बाद वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 को कहा कि विधि विरूद्ध विनिमय पत्र दिनांक 08.06.2016 को शुन्य एव निष्प्रभावी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मानकर विवादित भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 7 ,8 की होना स्वीकार कर ले तो साफ इन्कार हो गया।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि के वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 7 ,8 को बहिब के काबिज खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन करने के आदेश फरमावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में खसरा न0 600 की 25.15 बीधा में से 5.06 बीधा का विधि विरूद्व करवाया गया विनिमय पत्र दिनांक 08.06.2016 को वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 7 ,8 के हकूक के मुकाबलें शुन्य एव निष्प्रभावी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरू, स्थायी निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे की वाद भूमि में प्रवेश नही करे।

वादीगण के संशोधित वाद/संशोधित शिर्षक के अनुसार वादीगण की और से श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता उपस्थित , प्रतिवादी संख्या 1 अनोपसिह (फोत) प्रतिवादी संख्या 1/1 किशनसिह पुत्र अनोपसिह की और से महेश चन्द शर्मा अधिवक्ता उपस्थित , प्रतिवादी संख्या 2 एव उनके वारिसान की और से मदन मोहन जोशी अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/3 की और से रविन्द कुमार अधिवक्ता उपस्थित आये तरतीबी प्रतिवादीगण की और से आनन्द उपध्याय अधिवक्ता उपरिथत आये तथा शेष प्रतिवादीगण को रजिस्ट्रर्ड सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई।

वादीगण का संशोधित वाद पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने वादीगण के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

दिनांक 04.04.1966 व दिनांक 09.10.1971 को तथाकथित बैयनामेंजात फर्जी व नुमाईशी व शुन्य है क्याकि दिनांक 14.04.1966 के वक्त रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा भूमि बन्ना पुत्र लेखु के नाम ही नही थी उक्त भूमि लेख के नाम 24.05.1992 तक दर्ज रही इसलिये वादीगण के पक्ष में करवाये गये तथाकथित बेयनामें शुरू से ही शुन्य है जो ईग्नोर किये जाने योग्य है।

छोगासिह प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रकरण संख्या 206/88 न्यायालय हाजा में एक वाद छोगासिह बनाम बनाराम आदि प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 बनाराम व प्रतिवादी संख्या 3 अनोपसिह ने छोगासिह के अर्जीदावा को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा प्रस्तुत किया था तथा रोही मौजा थिराना के खसरा न0 113 की 32.18 बीधा भूमि का आवंटन खातेदार माना था हाल खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि छोगासिह को खातेदार काश्तकार माना था तथा मृतक लेखराम का नाम कलमजन करके छोगासिह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये उक्त निर्णय दिनांक 20.09.1990 वाद संख्या 206/88 के आधार पर छोगासिह खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि खातेदार काश्तकार हुआ तथा उसी भूमि का विनिमय प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में हुआ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रथम तो निर्णय दिनांक 20.09.1990 वाद संख्या 206/88 अनवानी छोगासिह बनाम बनाराम आदि के विरूद्व कोई अपील आदि प्रस्तुत नही की गई उक्त निर्णय अन्तिम है वादीगण नया वाद पूर्व निर्णय के रहते प्रस्तुत करने के अधिकारी नही है तथा उक्त वाद रेसज्यूडिकेटा आरिज है क्योकि निर्णय दिनांक 20.09.1990 न्यायालय हाजा द्वारा ही पारित किया है आज तक बहाल है न्यायालय हाजा उक्त निर्णय को मानने हेतु बाध्य हे उक्त निर्णय दिनांक 20.09.1990 के बहाल रहते प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व वादीगण वाद लाने के अधिकारी नही है क्योकि पूर्व में डिक्री से ही प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई उसी भूमि का विनिमय प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में हुआ है डिक्री विनिमयपत्र आदि [illegible] वादीगण संधारण योग्य नही है तथा डिक्री दिनांक 20.09.1990 के रहते प्रतिवादी संख्या [illegible] के पक्ष में विनिमय रहते हुए शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवा पाने के [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नोहर के यहां प्रकरण संख्या 4/2000 निर्णय दिनांक 05.08.2002 अनवानी जीतसिह बनाम अनोपसिह जैरकार रहा जो जीतसिह आदि के खिलाफ हुआ है न्यायालय हाजा है में वादीगण ने उक्त तथ्य छुपाए है अन्य अदालतों में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विचाराधीन प्रकरणों के सम्बध में वादीगण ने समस्त तथ्य छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है वादीगण न्यायालय हाजा में क्लीन हैण्ड से नही आया हे इसलिये वाद वादीगण खारीज योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर भूमि दर्ज हुई है वसीयत कैन्सीलेशन का वाद सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का है इसलिये न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का नही है वादीगण के पास वाद भूमि का कब्जा काश्त नही है ना ही किसी श्रेणी के टिनेन्ट है तथा कब्जा के अभाव में वादीगण के वाद पोषणीय नही है प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा थिराना के खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि कब्जा काश्त में है रिकार्ड रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है वादीगण के पास कभी कब्जा नही रहा है वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 2 ,3 का जबाब पेश होने पर वादीगण एव प्रतिवादीगण को सम्पूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया वादीगण के पूर्व वाद एवं संशोधित वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के पूर्व में प्रस्तुत जबाब दावा एवं संशोधित वाद के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा के आधार पर निम्नप्रकार से तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब के काबिज खातेदार काश्तकार है।? वादीगण
2. आया खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि में से 5.06 बीधा का विनिमय पत्र दिनांक 08.06.2016 शुन्य एवं निष्प्रभावी है ? वादीगण
3. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है।? वादीगण
4. आया खसरा न0 600 की 5.06 बीधा दक्षिणी हिस्सा पैमाईश में गलत लेखु के नाम दर्ज कर दी वा न0 206/88 दिनांक 20.09.1990 के डिक्री होने पर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई ।? प्रतिवादी
5. आया दावा कब्जा के अभाव में चलने योग्य नही है।? प्रतिवादी
6. आया दावा अश्वीगुईस है बिला वेटर प्रतिकुलिस है ।? प्रतिवादी
7. आया वाद भूमि लेख जाट की थी उसने प्रतिवादी संख्या 1 को वसीयत कर दी बाद देहान्त लेखु प्रतिवादी संख्या 1 काबिज खातेदार काश्तकार है।? प्रतिवादी
8. आया मुताबिक विनिमय दिनांक 08.06.2016 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार है।? प्रतिवादी
9. दादरसी

तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षों को साक्ष्य सबुत पेश करने का सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद /संशोधित वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा भूमि बन्ना पुत्र लेखू जाति नायक साकिन थिराना की खातेदार भूमि थी बन्ना ने दिनांक 14.05.1966 को रामस्वरूप पुत्र गिरधारी जाति खटिक को बेय कर दी तथा रामस्वरूप ने दिनांक 09.10.1971 को जरिये बैयनामा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज हाकम व जगां को बेचान कर दी जो खरीद के समय से काबिज होकर भूमि काश्त करते आ रहे है और रकम राज जमा करवाते आ रहे थे।

पैमाईश के दोरान साबिका [illegible] 29.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि में परिवर्तन कर [illegible] गया पैमाईश मे वादभूमि वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिये थी [illegible] ना कर लेखू वल्द बालु जाति जाट के नाम दर्ज कर दी जबकि लेखू वल्द बालु जाट नाम का कोई व्यक्ति गावं में नही था भू0प्रबन्ध विभाग ने लेखू की जाति नायक के स्थान पर जाट दर्ज कर दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 2 ने एक वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें गलत तथ्य पेश कर बन्ना को फरीक बनाकर पेश किया जबकि छोगसिह को ज्ञान था व व दावा में दर्ज भी किया की बन्ना ने भूमि बैय वादीगण को करदी फिर भी वादीगण के फरीक बनाने की बजाए बन्ना को फरीक बनाकर वाद पेश किया व बन्ना को बिना तलब किये वाद वादी दिनाक 20.09.1990 को डिक्री कर दिया गया इसप्रकार वादीगगण को बिना सुने बिना फरीक बनाये खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि का निर्णय अपने पक्ष में करवाया है वादीगण उक्त निर्णय से पाबन्द नही है उक्त निर्णय वादीगण के हकों के प्रति शुन्य है उक्त निर्णय में प्रतिवादी संख्या 1 अनोपसिह भी प्रतिवादी संख्या 2 था ने इकबाल पेश किया गया था सभी तथ्यों का ज्ञान होने के बाद भी साजिसाना कार्यवाही लेखू की जाति नायक के स्थान पर जाट दर्ज करवाया जबकि इन्तकाल संख्या 595 दिनांक 01.10.1991 में लेखू की जाति नायक दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने फर्जी वसीयत तैयार करना जाहिर किया हे लेकन उक्त वसीयत का कही भी कोई दस्तावेजात नही है पंचायत ने साजिसाना तौर पर लेखू जाट को फोत होना जाहिर किया जाकर वारिस प्रमाण पत्र जारी किया कर साजिसाना तौर पर नामान्तकरण संख्या 634 दिनांक 25.05.1992 दर्ज करवाया है जो नाजायज व गैर कानुनी है जो वादीगण के हकों के प्रति शुन्य है वाद भूमि में पैमाईश चाल रहने के कारण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज केनाम भूमि दर्ज नही हो सकी वादीगण अपनी खरीदशुद्वा भूमि को काश्त करते आ रहे है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने विवादित भूमि में गलत दर्ज अंकन के आधार पर एवं विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त में ना होने के बावजूद भी साजिसाना कार्यवाही कर मुश्तरका खाते की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में खसरा न0 600 की 25.15 बीधा में से 5.06 बीधा भूमि का विधि विरूद्व विनिमय पत्र दिनांक 08.06.2016 को करवा दिया गया हे जो रजिस्ट्रर्ड भी नही है उसके बावजूद भी राजस्व विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया है उक्त विनिमय पत्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 , 8 के हकूक के मुकाबले शुन्य प्रभावहीन है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में खसरा न0 600 की 25.15 बीधा में से 5.06 बीधा का विधि विरूद्व करवाया गया विनिमय पत्र दिनांक 08.06.2016 को वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 7 ,8 के हकूक के मुकाबलें शुन्य एव निष्प्रभावी घोषित किया जावे एवं रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि के वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 7 ,8 को बहिब के काबिज खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन करने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की विवादित भूमि हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि लेखुराम वल्द जालुराम जाति जाट की खातेदारी भूमि थी जो लाऔलाद था उसके जीवन काल के अन्तिम समय में मिन प्रतिवादी ने सेवा चाकरी की व उसकी सम्पति की देखभाल की थी इसलिये उसने अपने स्वतन्त्र इच्छा से उक्त भूमि की प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वसीयत करवाई थी लेखुराम के देहान्त होने के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को साधिकार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे उपरोक्त भूमि 20.09 बीधा भूमि के उत्तर में सोहनलाल खाती , दक्षिण में छोगासिह प्रतिवादी पूर्व में सहीराम मेध्वाल पश्चिम में सुगना का खेत है उक्त भूमि मिन प्रतिवादी के कब्जा काश्त में है तथा प्रतिवादी इसका लगान आदि जमा करवाता आ रहा है वादीगण व प्रतिवादी [illegible] से कोई सरोकार नही है उक्त भूमि कभी भी वादीगण एव तरतीबी [illegible] के कब्जा काश्त में नही रही है ना ही वादीगण किसी श्रेणी [illegible] वादीगण दावा लाने के अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता [illegible] अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0

खण्ड अधिकारी
नोहर

113 की 32.18 बीधा भूमि छोगसिह प्रतिवादी संख्या 2 को सन 1968 से कब्जा काश्त में चली आ रही है और उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है जिसके पैमाईश हाल में खसरा न0 228/1.08 बीधा खसरा न0 603/4.10 बीधा , खसरा न0 604/18.09 बीधा, खसरा न0 600 की 5.06 बीधा दक्षिणी हिस्सा , में परिर्वतीत हुई दक्षिणी हिस्सा पैमाईश हाल में कतई गलत तौर से मृतक लेखू नायक के नाम दर्ज कर दिया जिसके लिये उतरदाता ने प्रतिवादी संख्या 2 ने वाद संख्या 206/89 अनवानी छोगसिह बनाम बन्नाराम पेश किया जो दिनांक 20.09.1990 को डिक्री हुआ जिसकी पालना में जमाबन्दी दुरूस्त कर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खातेदारी दर्ज की गई थी वाद भूम सम्वत 2025 से कब्जा काश्त में चली आ रही है वादीगण का उक्त भूमि से कोई सरोकार नही है ना ही विवादित 5.06 बीधा भूमि पर कभी कब्जा रहा है कब्जा के अभाव में वादीगण का वाद पोषणीय नही है वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 (3/1 से 3/3) के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की छोगासिह प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रकरण संख्या 206/88 न्यायालय हाजा में एक वाद छोगासिह बनाम बनाराम आदि प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 बनाराम व प्रतिवादी संख्या 3 अनोपसिह ने छोगासिह के अर्जीदावा को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा प्रस्तुत किया था तथा रोही मौजा थिराना के खसरा न0 113 की 32.18 बीधा भूमि का आवंटन खातेदार माना था हाल खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि छोगासिह को खातेदार काश्तकार माना था तथा मृतक लेखराम का नाम कलमजन करके छोगासिह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये उक्त निर्णय दिनांक 20.09.1990 वाद संख्या 206/88 के आधार पर छोगासिह खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि खातेदार काश्तकार हुआ तथा उसी भूमि का विनिमय प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में हुआ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रथम तो निर्णय दिनांक 20.09.1990 वाद संख्या 206/88 अनवानी छोगासिह बनाम बनाराम आदि के विरूद्व कोई अपील आदि प्रस्तुत नही की गई उक्त निर्णय अन्तिम है वादीगण नया वाद पूर्व निर्णय के रहते प्रस्तुत करने के अधिकारी नही है तथा उक्त वाद रेसज्यूडिकेटा आरिज है क्योकि निर्णय दिनांक 20.09.1990 न्यायालय हाजा द्वारा ही पारित किया है आज तक बहाल है न्यायालय हाजा उक्त निर्णय को मानने हेतु बाध्य हे उक्त निर्णय दिनांक 20.09.1990 के बहाल रहते प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व वादीगण वाद लाने के अधिकारी नही है क्योकि पूर्व में डिक्री से ही प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई उसी भूमि का विनिमय प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में हुआ है डिक्री विनिमय पत्र आदि के रहते वाद वादीगण संधारण योग्य नही है तथा डिक्री दिनांक 20.09.1990 के रहते प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में विनिमय रहते हुए शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने अपने वाद/तनकीयात के समर्थन में नकल इंतकाल स0 595 दिनांक 01.10.91 ईएक्सपी–1, नकल इंतकाल स0 634 ईएक्सपी–2, नकल निर्णय वाद स0 206/88 ईएक्सपी–3, नकल जमाबंदी स0 2032 से 35 ईएक्सपी–4, नकल इंतकाल बहक बन्ना, नकल फोटो कोपी इंतकाल कराने तथा रिपोर्ट पटवारी व ग्राम पंचायत नीमला असल बैयनामा ईएक्सपी– 5ए, नकल अंतिम रिपोर्ट दिनांक 17.8.96, नकल इंतकाल न0 595 दिनांक 01.10.97, नकल जमाबंदी खतौनी सम्वत 2013 से 16, नकल गिरदावरी सम्वत 2021 से 24, नकल गिरदावरी सम्वत 2029 से 32 व 2026 से 29 आदि पे[illegible] जीत पीडब्ल्यू1, बन्ना पीडब्ल्यू2, हेतराम पीडब्ल्यू3, रामस्वरूप पीडब्ल्यू[illegible] पीडब्ल्यू5, सहीराम पीडब्ल्यू6 के बयान पत्रावली के अनुसार पू[illegible]णित नकल मिलान क्षेत्रफल रोही मौजा थिराना साबिना ख0न0 113 हाल ख0न0 600, प्रमाणित नकल मिलान खसरा भूप्रबन्धन विभाग सम्वत 2028 ग्राम थिराना, प्रमाणित नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2021 से 2024, प्रमाणित नकल खसरा गिरदावरी 2025 से 2028, प्रमाणित नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खसरा गिरदावरी 2029 से 2032, प्रमाणित नकल निर्णय दिनांक 27.11.2008 विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण प्रकरण) एवं सेशन न्यायाधीश हनुमानगढ़, प्रमाणित नकल निर्णय दिनांक 05.03.1998 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नोहर, प्रमाणित नकल निर्णय दिनांक 31.05.2006 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, प्रमाणित नकल जमाबंदी ग्राम थिराना खाता न0 6, प्रमाणित नकल इंतकाल स0 1715 ग्राम थिराना, नकल प्रमाणित इंतकाल स0 1731 ग्राम थिराना, प्रमाणित नकल विनिमय पत्र निर्णय दिनांक 08.06.2016 आदि पेश किये।

प्रतिवादीगण ने तनकीआत के समर्थन में बतौर दस्तावेजी सबूत में नकल फहरिस्त हकदारान, नक्शा ईएक्सडी 1 से 3, नकल इंतकाल दिनांक 25.5.92 ईएक्सडी 74, नकल जमाबंदी सम्वत 2045 से 48 ईएक्सडी–5, नकल जमाबंदी सम्वत 2032 से 35 ईएक्सडी–6, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 34 ईएक्सडी–7, सम्वत 2041 से 44 ईएक्सडी–8, सम्वत 2045 ता 48 ईएक्सडी 9, सम्वत 2049 से 52 व 53 ता 56 ईएक्सडी–10, 11, रसीद लगान अदायगी, प्रमाण पत्र, नकल निर्णय दिनांक एसीजेएम साहब दिनांक 07.05.92 व नकल निर्णय दिनांक 27.11.2001 विशिष्ट न्यायाधीश एसी व एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम सेशन न्यायाधीश हनुमानगढ़ ईएक्सडी–12, व 13 पेश किये तथा बतौर मौखिक साक्ष्य अनोपसिंह डीडब्ल्यू 1, काशीराम डीडब्ल्यू 2, तिलोक सिंह डीडब्ल्यू 3, मोमनराम डीडब्ल्यू 4, मंगलाराम डीडब्ल्यू 5, भादरा डीडब्ल्यू 6, रूपाराम डीडब्ल्यू 7 के बयान करवाए गये। वकील प्रतिवादी द्वारा नकल निर्णय दिनांक 05.08.02 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नोहर आदि पूर्व में पेश किये जा चुके है तथा नकल प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी रोही मौजा थिराना सम्वत 2072–75, प्रमाणित प्रतिलिपी एलोटमेंट बहक छोगासिंह, प्रमाणित प्रतिलिपी निर्णय दिनांक 20.09.90 बअदालत एसडीओ कार्ट नोहर अनवान छोगासिंह बनाम बनाराम, प्रमाणित प्रतिलिपी पर्चाडिक्री निर्णय दिनांक 20.09.90 बअदालत एसडीओ कार्ट नोहर अनवान छोगासिंह बनाम बनाराम, प्रमाणित प्रतिलिपी इकबाल दावा निर्णय दिनांक 20.09.90 बअदालत एसडीओ कार्ट नोहर अनवान छोगासिंह बनाम बनाराम, प्रमाणित प्रतिलिपी गिरदावरी रोही मौजा थिराना सम्वत 2073, फोटोप्रति नामान्तरण रोही मौजा थिराना आदि दस्तावेज पेश किये।

उभयपक्षों को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर दिया जाने एव विभिन्न प्रकार के प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो का निस्तारण करने के उपरान्त अन्तिम बहस सुनने के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है :–

1. **आया कि रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब के काबिज खातेदार काश्तकार है।?**
वादीगण

तनकी न0 1 – को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण का तर्क है कि रोही मौजा थिरान के साबिका खसरा न0 113/25.00 बीधा भूमि जिसके हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा में पैमुद परिर्वतन हुई है लेखू वल्द जालु जाति नायक सम्वत 2013 से पूर्व की भूमि थी जिसके फोत होने पर उसके पुत्र बन्ना पुत्र लेखु जाति नायक की खातेदारी भूमि में दर्ज हुई है बन्ना नायक ने उक्त भूमि दिनांक 14.06.1966 को रामस्वरूप पुत्र गिरधारी खटी को बेय कर दी थी तथा रामस्वरूप ने दिनांक 09.10.1971 को जरिये बैयनामा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 , 8 के पूर्वजों को बेचान कर दी थी जो उनके कब्[illegible] है उक्त भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है पैमाईश में गल[illegible] लेखु जाट के नाम दर्ज की गई है जबकि उस ना[illegible] है गलत इन्द्राज की आड मे फर्जी वसीयत करवाई जाकर प्रतिवादी संख्या 1 अनोपसिह ने अपने नाम साजिसाना तोर पर करवाई है वाद भूमि किसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 काश्तकार नही हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात ईएक्सपी– 1 से ईएक्सपी– 5ए व अन्य प्रस्तुत दस्तावेजात व ब्यानों की और ध्यान आर्कषित किया।

प्रतिवादीगण ने वादी के तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया की वाद भूमि लेखू वल्द जालुराम जाति जाट की भूमि थी जिन्होने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 अनोपसिह के पक्ष में वसीयत की गई थी उसी के आधार पर वाद भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 7 , 8 को कोई हक हिस्सा नही है अपने कथनों की पुष्टि में दस्तावेज ईएक्सडी –1 से ईएक्सडी – 13 व ब्यानों की और ध्यान आर्कषित किया

प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया वादग्रस्त भूमि के खसरा न0 600/5.06 बीधा भूमि पैमाईश हाल में गलत तौर से लेखू नायक के नाम दर्ज हुई थी जिसके लिये वाद संख्या 206/88 अनवानी छोगसिह बनाम बनाराम पेश किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 20.09.1990 को हुआ जिसकी पालना में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई थी जिसका वह खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादी संख्या 3 का कथन है कि वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से विनिमय में प्राप्त हुई है प्रतिवादी संख्या 2 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था जिसके साथ प्रतिवादी संख्या 3 ने खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि का विनिमय किया गया था जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है।

हमने वादीगण एव प्रतिवादीगण के तर्को पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत 2013 से 2016 में रोही मौजा थिरान के साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा भूमि लेखू वल्द जालू जाति नायक साकिन देह के नाम दर्ज है जो जमाबन्दी की प्रति से प्रमाणित है तथा नकल गिरदावारी सम्वत 2021 से 2023 में उक्त 25.00 बीधा भूमि पहले लेखू वल्द जालु जाति नायक के नाम दर्ज है तथा सम्वत 2021 में लेखू वल्द जालू की काश्त दर्ज है तथा सम्वत 2022 में लेखू फोत होना व बन्ना वल्द लेखू जाति नायक के नाम नामान्तकरण संख्या 148 दिनांक 09.03.1963 दर्ज होना एव सम्वत 2023 में जरिये नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 25.11.1966 रामस्वरूप वल्द गिरधारी जाति खटिक के नाम दर्ज होना प्रस्तुत नामान्तकरण की प्रतियों से साबित है खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 में भी रामस्वरूप के नाम खातेदारी दर्ज है व काश्त होना प्रमाणित है नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2025 से 2027 में भी रामस्वरूप के नाम खातेदारी दर्ज है व काश्त होना प्रमाणित है नकल बैयनामा दिनांक 09.10.1971 से रामस्वरूप ने से वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज ने खरीदशुद्धा भूमि होना प्रमाणित है

इसप्रकार सम्वत 2013 से सम्वत 2027 तक वाद भूमि लेखू वल्द जालू एव लेखू वल्द जालू के फोत होने पर बन्ना वल्द लेखू एव प्रथम बेयनामा के वाद रामस्वरूप एव रामस्वरूप के द्वारा बैयानामा वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादीगण को करवाने पर वादीगण एव प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आना सा[illegible]है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि पैमाईश से [illegible] संख्या 634 से पहले लेखू जाट के नाम दर्ज र[illegible] पैमाईश से पहले भूमि दर्ज होना ही नही पाया जाता तो वसीयत से भूमि अनोपसिह प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होना भी शुन्य है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से पूर्णरूप से साबित है कि वाद भूमि रोही मोजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा भूमि सम्वत 2013 से पैमाईश सम्वत 2029 तक पहले लेखू वल्द जालू नायक व रामस्वरूप खटिक व बाद में वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई थी

रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा भूमि जो लेखू वल्द जालू जाति नायक के नाम दर्ज थी को पैमाईश के दौरान नये खसरो में परिर्वतन किया जाकर हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा में परिर्वतन किया जाकर लेखू वल्द जालू जाति जाट अंकित कर दिया जो विधि विरूद्व था

भू0प्रबन्ध विभाग को सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान पूर्व खसरा की भूमि को नये खसरो में परिर्वतन किया जाकर पूर्व के काश्तकार को नये खसरो में दर्ज किया जाना था काश्तकारो के नाम जाति में परिर्वतन करने का कोई अधिकारी नही था यदि इन्द्राज कर दिया गया था तो गलत इन्द्राज के आधार पर किसी प्रकार के हकों प्राप्त नही होते थे सम्बधित काश्तकार कभी भी अपने हक कब्जा काश्त की भूमि को संशोधन करवाकर अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है

पैमाईश के दौरान बन्ना पुत्र जालू जाति जाट के अंकन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में की वसीयत शुन्य है क्योकि जब लेखू वल्द जालू जाति जाट की उक्त भूमि थी नही तो उसे वसीयत करने का कोई अधिकार नही था केवल भू0प्रबन्ध विभाग की गलती से जाति नायक के स्थान जाट अंकित होने का फायदा उठा कर वाद भूमि हडप करने की नियत से वसीयत करवाई गई थी वादीगण के हकुक के प्रति शुन्य एव प्रभावहीन है ऐसी वसीयत के आधार पर कोई हक अधिकार नही दिये जा सकते है ना वसीयत को प्रतिवादी संख्या 1 साबित भी नही कर पाया है।

रोही मौजा थिरान के साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा भूमि से हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा में पैमुद परिर्वतन किया गया है जो मिलान क्षेत्रफल एवं खसरा गिरदावारीयों से पूर्णत्या साबित है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने साबिका खसरा संख्या 113 की 25.00 से हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा में पैमुद होना भी स्वीकार किया गया है किसी प्रकार का विरोध नही किया गया ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे यह साबित हो सके की हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा से ना बना हो मिलान क्षेत्रफल तहसीलदार नोहर से प्रमाणित है जिसे अस्वीकार भी नही किया जा सकता है।

रोही मौजा थिराना के हाल खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि के सम्बध में एक वाद इसी न्यायालय में वाद संख्या 206/88 अनवानी छोगसिह बनाम बनाराम पेश किया गया था जिसमें बन्नाराम ने ईकबाल पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 छोगसिह की होना माना गयी थी जिसके विरूद्व आदिनांक तक अपील प्रस्तुत नही हुई है ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है यदि किसी पक्ष का ऐतराज था तो सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता था अर्थात रोही मौजा थिराना के हाल खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 छोगसिह के हक हिस्सा की भूमि होना प्रमाणित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 2 छोगसिह ... रोही मौजा थिराना के हाल खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि ... प्रतिवादी संख्या 3 के साथ किया हुआ है जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 उक्त भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात उक्त भूमि जो प्रतिवादी संख्या 2 छोगसिह के हिस्से की साबित हुई थी अब विनिमय के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 के हक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा की भूमि होना प्रमाणित होता है जिसमें वादीगण किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन से साबित है कि रोही मौजा थिरान के साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा भूमि से ही हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि पैमुद हुई है जो सम्वत 2013 से पैमाईश तक अर्थात सम्वत 2029 तक लेखु वल्द जालु जाति नायक एव लेखू वल्द जालु जाति नायक देहान्त होने पर उसके पुत्र बन्ना वल्द लेखू के नाम एव बैयनामा के आधार पर पहले रामस्वरूप खटिक के नाम एव रामस्वरूप के बैयनामा के आधार पर वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 7 ,8 के पूर्वजों के नाम दर्ज रही थी पैमाईश से पहले ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे साबित हो सके की लेखू वल्द जालू जाति जाट के नाम वाद भूमि कभी दर्ज हुई थी केवल भू0प्रबन्ध विभाग ने सहवन से पैमाईश के दौरान अंकन किया जिसके आधार पर वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज हुई गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अर्थात रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 की 25. बीधा हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा में से 5.06 बीधा दक्षिणी हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 छोगसिह के हक हिस्सा जिसका विनिमय प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में करवाने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 के हक हिस्सा की भूमि है तथा शेष 20.09 बीधा भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 7 ,8 अपने खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है।

अतः तनकी न0 1 आंशिक तौर से 20.09 बीधा की हद तक वादीगण के पक्ष में तय की जाती है शेष 5.06 बीधा की हद तक प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में तय की जाती है।

2. **आया खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि में से 5.06 बीधा का विनिमय पत्र दिनांक 08.06.2016 शुन्य एवं निष्प्रभावी है ?**

वादीगण

तनकी न0 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था तनकी न0 1 में विवेचन किया जा चुका है कि इस न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 206/88 अनवानी छोगसिह बनाम बनाराम जिसमें दिनांक 20.09.1990 को निर्णय पारित किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जाकर रोही मौजा थिराना के हाल खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि छोगसिह प्रतिवादी संख्या 1 की मानी गई थी उक्त वाद में बनाराम ने ईकबाल पेश किया जाकर छोगसिह की होना स्वीकार किया गया था उक्त निर्णय के विरूद्व किसी न्यायालय में अपील पेश नही की गई है अर्थात निर्णय दिनांक 20.09.1990 अन्तिम निर्णय है जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 छोगसिह ने प्रतिवादी संख्या 3 सरोज के पक्ष में विनिमय करवाया गया था जो साधिकार है विनिमय पत्र को किसी न्यायालय के द्वारा खारिज नही किया गया है आदिनाक तक प्रभावी है इसप्रकार बनेराम स्वय के द्वारा उक्त 5.06 बीधा भूमि छोगसिह की होना स्वीकार किया गया है।

अतः तनकी न0 2 वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

3. **वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है।?**

वादीगण

तनकी न0 3 –इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था तनकी न0 1 में विवेचन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण की खरीदशुद्वा खातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही है इसलिये वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह वादीगण के हक हिस्सा कब्जा काश्त की भूमि में मदखलत बेजा नही करे।

अतः तनकी न0 3 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

4. **आया खसरा न0 600 की 5.06 बीधा दक्षिणी हिस्सा पैमाईश में गलत लेखु के नाम दर्ज कर दी वा न0 206/88 दिनांक 20.09.1990 के डिक्री होने पर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई ।?** **प्रतिवादी**

तनकी न0 4– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 पर था तनकी न0 1 में विवेचन किया जा चुका है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने एक वाद इसी न्यायालय में प्रकरण संख्या 206/1988 अनवानी छोगसिह बनाम बनेराम प्रस्तुत किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 20.09.1990 को पारित किया जाकर रोही मौजा थिराना के हाल खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि छोगसिह के हक हिस्सा की होना पाया गया था उक्त वाद में बनेराम ने ईकबाल पेश किया गया था उक्त निर्णय की आदिनांक तक अपील नही हुई है उक्त निर्णय अन्तिम निर्णय है वादीगण को ऐतराज था तो वह सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर सकते थे किसी प्रकार की कार्यवाही नही होने के कारण निर्णय आदिनांक तक प्रभावी है

अतः तनकी न0 4 प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तय की जाती है।

5. **आया दावा कब्जा के अभाव में चलने योग्य नही है।?** **प्रतिवादी**

तनकी न0 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में रही हो या वर्तमान में चल रही हो जबकि खसरा गिरदावरीयों से भूमि लेखू वल्द जालू जाति नायक के कब्जा काश्त में रही थी व बैयनामा उपरान्त खरीददारों के कब्जा काश्त में है एव 5.06 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जा काश्त में विनिमय के अनुसार पाई जाती है जिसका विवेचन तनकी न0 1 में किया जा चुका है।

अतः तनकी न0 5 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व तय की जाती है

6. **आया दावा अश्वीगुईस है बिला वेटर प्रतिकुलिस है ।?** **प्रतिवादी**

तनकी न0 6 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सख्या 1 पर था तनकी न0 1 से तनकी न0 5 में पूर्णवाद का विवेचन किया जा चुका है तनकी न0 6 इसी पर आधारित होने के कारण तनकी न0 6 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व तय की जाती है।

7. **आया वाद भूमि लेख जाट की थी उसने प्रतिवादी संख्या 1 को वसीयत कर दी बाद देहान्त लेखु प्रतिवादी संख्या 1 काबिज खातेदार काश्तकार है।?** **प्रतिवादी**

तनकी न0 7 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था तनकी न0 1 में पूर्ण विवेचन किया जा चुका है प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि पैमाईश से पहले वादग्रस्त भूमि लेखू वल्द जालू जाति जाट की है और उसके कब्जा काश्त में रही थी और वह वहॉ पर निवास करता हो तथा उसका कोई साक्ष्य जैसे राशन कार्ड , मतदाता सूचि में नाम या ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य जिससे लेखू वल्द जालू जाति जाट गांव में निवास करना प्रमाणित हो पेश किया जबकि पैमाईश से पूर्व लेखू वल्द जालू जाति नायक की होना दस्तावेजात से पूर्णत्या प्रमाणित है जब लेखू वल्द जालू जाति जाट के नाम भूमि ही प्रमाणित नही है तो उसके द्वारा करवाई गई वसीयत स्वतः ही शुन्य एव प्रभावहीन है मात्र राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन के आधार पर करवाई गई वसीयत के आधार पर किसी प्रकार के हक हिस्सा प्रा[illegible] तथा लेखू वल्द जालू जाति जाट का होना भी प्रमाणित नही [illegible] न्यायालय के निर्णय दिनांक27.11. 2008 में विवेच[illegible] जालू जाति जाट के नाम से कुटरचित वसीयत बनाई गई थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वसीयत के अनुसार फायदा नही उठाने के लिये भी पाबन्द किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः तनकी न0 1 प्रतिवादी संख्या 1 के साबित नही कर पाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व तय की जाती है

8. आया मुताबिक विनिमय दिनांक 08.06.2016 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार है।? प्रतिवादी

तनकी न 8 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 ,3 पर था तनकी न0 1 व अन्य तनकी जो प्रतिवादी संख्या 2 के लिये थी में साबित किया जा चुका है कि इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 206/1988 अनवानी छोगसिह बनाम बनेराम जिसमें बनेराम के ईकबाल के आधार पर दिनांक 20.09.1990 को निर्णय किया जाकर रोही मौजा थिराना के हाल खसरा न0 600 की 5.06 बीधा भूमि छोगसिह के हक हिस्सा की भूमि है उक्त निर्णय के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील नही हुई है यदि वादीगण को ऐतराज था तो वह सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते थे किन्तु आदिनांक तक निर्णय दिनांक 20.09.1990 प्रभावी है तथा उक्त भूमि का विनिमय प्रतिवादी संख्या 3 सरोज के पक्ष में किया गया है जो साधिकार है एव विनिमय के अनुसार भूमि पाने की अधिकारी है।

तनकी न0 3 प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में तय की जाती है।

उक्त तनकीवार का निर्णय हो चुका है जिसके विवेचन से वाद भूमि रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 की 25.00 बीधा हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि लेखू वल्द जालू जाति नायक के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी जो पैमाईश से पूर्व दर्ज चली आ रही थी तथा पैमाईश में सहवन से लेखू वल्द जालू जाति जाट दर्ज हुआ है जिसकी वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पक्ष में करवाई गई थी जो शुन्य एव प्रभावहीन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 तथाकथित वसीयत के आधार पर कोई हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है वाद भूमि लेखू वल्द जालू के कब्जा काश्त की भूमि होना पूर्णत्या प्रमाणित है जिसे रामस्वरूप को एव रामस्वरूप से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 7 ,8 को बेचान किया गया था जो उसके कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा प्रतिवादी संख्या 2 रोही मौजा थिराना के हाल खसरा न0 600 की 5.06 बीधा का हकदार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.09.1990 के अनुसार है जिसका विनिमय प्रतिवादी संख्या 3 सरोज के पक्ष में हो चुका है जिसे प्रतिवादी संख्या 3 पाने का अधिकारी है अर्थात वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वाद भूमि में 20.09 बीधा एव प्रतिवादी संख्या 3 वाद भूमि में से 5.06 बीधा भूमि पाने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण आंशिक तौर से डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि में से 5.06 बीधा भूमि दक्षिणी हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/3 बहिब के व शेष 20.09 बीधा भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 एव प्रतिवादी संख्या 7 तथा प्रतिवादी संख्या 8(8/1 से 8/3/3) चारो बहिब के खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है अर्थात वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8(8/1 से 8/3/3) बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब [illegible] दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/07/20[illegible] को [illegible] द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जीत पुत्र सुन्दर जाति बाजीगर साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जोगेन्द्रसिह पुत्र सुन्दर जाति बाजीगर साकिन थिराना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. अनोपसिह पुत्र पनेसिह जाति राजपुत साकिन थिराना नोहर जिला हनुमानगढ।
   1/1. किशनसिह पुत्र अनोपसिह जाति राजपुत साकिन थिराना तहसील नोहर
2. छोगसिह पुत्र हीरसिह उर्फ हरिसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
   2/1. मालसिह पुत्र छोगसिह जाति राजपुत साकिन थिराना तहसील नोहर।
   2/2. शंकरसिह पुत्र छोगसिह जाति राजपूत साकिन थिराना तहसील नोहर
   2/3. राजेन्द्रसिह पुत्र छोगसिह जाति राजपुत साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. सरोज पत्नी छोटूलाल जाति महाजन साकिन थिराना तहसील नोहर।
   3/1. मनोज पुत्र सरोज पत्नी छोटूलाल जाति महाजन साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   3/2. राजेश पुत्र सरोज पत्नी छोटूलाल जाति महाजन साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   3/3. राकेश पुत्र सरोज पत्नी छोटूलाल जाति महाजन साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. आई.सी.आई.सी. आई बैक शाखा रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक खूईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

7. सुच्चासिह पुत्र जंगा जाति बाजीगर साकिन सुरेवाला तहसील टीबी जिला हनुमानगढ
8. अमर पुत्र सुन्दर जाति बाजीगर साकिन सुरेवाला तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।
   8/1. छिन्द्रपालकोर पुत्री अमरसिह जाति बाजीगर साकिन डबबाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
   8/2. राजसिह पुत्र अमरसिह (फोत)
   8/2/1. बलजीतकोर पत्नी राजसिह जाति बाजीगर साकिन डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
   8/2/2. जगतारसिह पुत्र राजसिह जाति बाजीगर साकिन डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
   8/2/3. मेजरसिह पुत्र राजसिह जाति बाजीगर साकिन डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
   8/3. जगराजसिह पुत्र अमरसिह (फोत)
   8/3/1. गरुमीतकौर पत्नी जगराजसिह जाति बाजीगर साकिन डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
   8/3/2. कमलदीन पुत्र जगराजसिह नाबालिग जरिये वली माता गुरमीतकौर पत्नी जगराजसिह जाति बाजीगर साकिन डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

8/3/3 नमनदीप पुत्र जगराजसिह नाबालिग जरिये बली माता गरुमीतकौर पत्नी जगराजसिह जाति बाजीगर साकिन डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 79 सन 2019 निर्णय दिनांक– 26/07/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एव प्रतिवादीगण तथा पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर आंशिक डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 113 हाल खसरा न0 600 की 25.15 बीधा भूमि में से 5.06 बीधा भूमि दक्षिणी हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/3 बहिब के व शेष 20.09 बीधा भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 एव प्रतिवादी संख्या 7 तथा प्रतिवादी संख्या 8 (8/1 से 8/3/3) चारो बहिब के खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है अर्थात वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 (8/1 से 8/3/3) बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/07/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested